

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2016/माघ 30, 1937

No. 451]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/MAGHA 30, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2016

आयकर

का. आ. 529(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 गगन की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1, में फाइल संख्या 16/1/2015-पी.आर., दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 के अंतर्गत प्रकाशित अटल पेंशन योजना को, उक्त खंड के उद्देश्यों के लिए पेंशन योजना के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 7/2016/फा.सं. 173/394/2015-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2016

Income-tax

S. O. 529(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 80CCD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the ‘Atal Pension Yojana (APY)’ as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, vide number F. No. 16/1/2015-PR dated the 16th October, 2015 as a pension scheme for the purposes of the said section.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 7 /2016, F.No.173/394/2015-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director